

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के निदेशक मण्डल की 31वीं बैठक जो दिनांक  
18.01.2020 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त।

उपस्थिति

1-- श्री सेंथिल पांडियन सी०	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
2-- श्री अजीत कुमार तिवारी	निदेशक
3-- श्री विमु प्रसाद महापात्र	निदेशक
4-- श्री सुबीर चक्रवर्ती	निदेशक
5-- श्री संजय तिवारी	निदेशक

सहायतार्थ

सुश्री निहारिका गुप्ता

कम्पनी सचिव

श्री सेंथिल पांडियन सी० की अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

मद संख्या - 31.1

निगम के निदेशक मण्डल की 30वीं बैठक जो दिनांक 20.09.2019 को सम्पन्न हुई, की कार्यवाही की पुष्टि के सम्बन्ध में।

कम्पनी सचिव द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि दिनांक 20.09.2019 को सम्पन्न हुई निदेशक मण्डल की 30वीं बैठक के कार्यवृत्त जिस पर माननीय अध्यक्ष द्वारा 20.09.2019 को हस्ताक्षर किये गए, का पुष्टिकरण किया जाना अपेक्षित है।

निदेशक मण्डल द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :

‘निदेशक मण्डल ने 30वीं बैठक जो दिनांक 20.09.2019 को सम्पन्न हुई के प्रस्तुत कार्यवृत्त के मद संख्या 30.10 में निम्न संशोधनों को समावेशित करते हुए प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया :-

**“RESOLVED THAT** pursuant to provisions of section 203 of Companies act 2013 and Rule 8 and Rule 8A of Companies appointment & remuneration of Managerial Personnel Rules 2014, Ms. Niharika Gupta, Company Secretary (ACS 59325) be and is hereby appointed as the whole time Company Secretary of the company with effect from 20.09.2019 on a monthly consolidated remuneration of Rs. 25,000/- per month through outsourcing till 31.03.2020. ( GST and other charges shall be paid extra.



Chairman's Initial

**FURTHER RESOLVED** one of the Directors of the Company be and is hereby authorized to file necessary E-forms and documents with Registrar of the Company and to do all other such acts Deeds and things which are necessary to give effect to above resolution."

### मद संख्या - 31.2

निदेशक मण्डल के सदस्यों से परिचालन माध्यम द्वारा पारित प्रस्ताव के पुष्टिकरण के सम्बन्ध में।

कम्पनी सचिव ने निदेशक मण्डल को अवगत कराया कि परिचालन माध्यम से निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित कराये गये थे :-

1. 2X660 मे०वा० जवाहरपुर तापीय परियोजना, जिला-एटा (यूपी) हेतु कोयला परिवहन के लिए चैनेज किमी० 8/700 से 19/800 तक रेलवे साइडिंग निर्माण कार्य के अन्तर्गत अर्थवर्क इन फारमेसन, लघु एवं दीर्घ पुल का निर्माण तथा अन्य जानपदीय कार्य – पैकेज-2 को निविदा के प्रथम न्यूनतम निविदाकार मैसर्स मेहरोत्रा बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड कोरबा, छत्तीसगढ़ से कराये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 02.11.2019 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का उद्धरण।


### निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय

'निदेशक मण्डल द्वारा 2X660 मे०वा० जवाहरपुर तापीय परियोजना, जिला-एटा (यूपी) हेतु कोयला परिवहन के लिए चैनेज किमी० 8/700 से 19/800 तक रेलवे साइडिंग निर्माण कार्य के अन्तर्गत अर्थवर्क इन फारमेसन, लघु एवं दीर्घ पुल का निर्माण तथा अन्य जानपदीय कार्य – पैकेज-2 के कार्य हेतु कारपोरेट निविदा समिति-द्वितीय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में ई-निविदा के न्यूनतम निविदाकार मैसर्स शान्ति इन्जिकॉन प्राइवेट लिमिटेड कोरबा, छत्तीसगढ़ के पक्ष में ₹० 65,21,81,178.00 (रु० पैसठ करोड़ इक्कीस लाख इक्यासी हजार एक सौ सात एवं पैसे अठ्हत्तर मात्र) (नियमानुसार देय जी०एस०टी० अतिरिक्त) पर निविदा प्रपत्र में अंकित विशिष्टियों व शर्तों पर कार्यादेश निर्गत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।'

2. 2X660 मे०वा० जवाहरपुर तापीय परियोजना हेतु कारपोरेट सोशल रिसांसिबिलिटी (सी०एस०आर०)/कारपोरेट इन्वायरमेंट रिस्पांसिबिलिटी (सी०ई०आर०) के अन्तर्गत पूर्व अनुमोदित कार्य योजना के तहत 02 कार्यों के परिवर्तन के सम्बन्ध में दिनांक 07.01.2020 को परिचालन माध्यम से पारित प्रस्ताव का उद्धरण।

### निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय

'निदेशक मण्डल द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में अंकित शर्तों के अनुपालन में 2X660 मे०वा० जवाहरपुर तापीय परियोजना के कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अन्तर्गत जी०वी०उ०नी०लि० के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 27.09.2018 में अनुमोदित ₹० 4.00 करोड़ की कार्य योजना के कम सं० 01 पर अंकित निम्न कार्यों के स्थान पर ग्राम



Chairman's Initial

मलावन व बबरौती नसीरपुर में परियोजना द्वारा प्रस्तावित तथा जिलाधिकारी, एटो द्वारा दिनांक 08.11.2019 को विदीक्षित एवं निगम की सी0एस0आर0 समिति द्वारा दिनांक 31.12.2019 को अनुमोदित गौशाला निर्माण के कार्य को कराये जाने का अनुमोदन निम्न विवरणानुसार प्रदान किया जाता है –

क्रम सं0	मद	पूर्व अनुमोदित कार्ययोजना		वर्तमान प्रस्तावित कार्ययोजना	
		कार्य का नाम	कुल प्राक्कलित लागत (जी0एस0टी0 सहित)	कार्य का नाम	कुल प्राक्कलित लागत (जी0एस0टी0 सहित)
1.	स्वास्थ्य, सेनीटेशन एवं जलापूर्ति	शैचालयों का निर्माण कार्य	रु0 25.00 लाख	ग्राम मलावन व बबरौती नसीरपुर में गौशाला निर्माण का कार्य	रु0 75.00 लाख

साथ ही निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि CSR मद में समय समय पर होने वाले व्यर्थों एवं कार्य प्रगति की अद्यतन स्थिति से निदेशक मण्डल को अवगत कराया जाए।

### मद संख्या - 31.3

निगम की सम्प्रेक्षा समिति की बैठक जो दिनांक 20.09.2019 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही की पुष्टि।

कम्पनी सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि�0 की सम्प्रेक्षा समिति की बैठक जो दिनांक 20.09.2019 को सम्पन्न हुई, का कार्यवृत्त संलग्न है।


निदेशक मण्डल द्वारा निम्न प्रस्ताव पारित किये गये :-

“निदेशक मण्डल द्वारा सम्प्रेक्षा समिति की बैठक जो दिनांक 20.09.2019 को सम्पन्न हुई, के प्रस्तुत कार्यवृत्त का पुष्टिकरण किया गया।”

### मद संख्या - 31.4

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि�0 का वित्तीय वर्ष 2019–20 के वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी सम्प्रेक्षा शुल्क के अनुमोदन के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्ताव।

“संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों की वैधानिक सम्प्रेक्षा हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के पत्रांक-CAV/COY/UTTAR PRADESH JAWVID(I)/1425 दिनांक 23.08.2019 के द्वारा नियुक्त किये गये वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति उनके सम्मुख अंकित सम्प्रेक्षा शुल्क पर किये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् अनुमोदन प्रदान किया:-



Chairman's Initial

संवैधानिक सम्प्रेक्षक	परियोजना/इकाई जिसके लिए सम्प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।	सम्प्रेक्षा शुल्क (जीएसटी) अतिरिक्त देय है। (रुपये में)
ओम रस्तोगी एण्ड कम्पनी (CR3029) 43/121, नवल किशोर रोड, द्वितीय तल, पदमाकर भवन, हजरतगंज लखनऊ-226001	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिं. लखनऊ	1,00,000.00

युन: संकल्प लिया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वैधानिक सम्प्रेक्षक की नियुक्ति एवं उनकी फीस का औपचारिक अनुमोदन अंशधारियों से भी प्राप्त कर लिया जाये।"

साथ ही निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि वैधानिक सम्प्रेक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत सम्प्रेक्षकों के rotation के सम्बन्धित प्राविधिकानों का कड़ाई से पालन किया जाए।

### मद संख्या - 31.5

जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिं. के अन्तर्गत कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी के पुनर्गठन हेतु निदेशक मण्डल से कार्यात्मक अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रस्ताव पारित किए गए :-

"निदेशक मण्डल द्वारा जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिं. की कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी के निम्नवत पुनर्गठन हेतु कार्यात्मक अनुमोदन प्रदान किया गया :-

1. निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य)
2. निदेशक (तकनीकी)
3. निदेशक (वित्त)
4. कार्यकारी निदेशक, एन०टी०पी०सी०

साथ ही निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी के गठन में समय समय पर होने वाले परिवर्तन तथा समिति द्वारा कृत कार्यवाही से निदेशक मण्डल को अवगत कराया जाए।

### मद संख्या - 31.6

निदेशक मण्डल की दिनांक 20.12.2017 को सम्पन्न हुई 23वीं बैठक में एजेण्डा आइटम संख्या-9 एवं दिनांक 09.03.2019 को परिचालन माध्यम से हुई निदेशक मण्डल की बैठक के क्रम में 2X660 जवाहरपुर तापीय विद्युत उत्पादन निगम लिं. मलावन (एटा) पर तैनात अधिकारियों/कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रतिकर भत्ता रु0 3,000/- (रुपये तीन हजार) की अवधि बढ़ाए जाने विषयक।

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन) द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 09.03.2019 को परिचालन माध्यम से हुई निदेशक मण्डल की बैठक के क्रम में 2X660 जवाहरपुर तापीय विद्युत उत्पादन निगम लिं. मलावन(एटा) पर तैनात अधिकारियों/कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रतिकर भत्ता रु0 3000/- (रुपये तीन हजार) की अवधि



बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया था,, जिसके अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं0 436/मा0सं0(04)/ज0वि0ज0नि0लि0/2019 दिनांक 10.03.2019 द्वारा दिनांक 20.12.2018 से एक वर्ष अथवा गेस्ट हाउस/फील्ड हास्टल के निर्मित हो जाने तक इनमें जो भी पहले हो, तक अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप निर्गत किया जा चुका है।

अतः 2X660 जवाहरपुर तापीय विद्युत उत्पादन निगम लि0, मलावन(एटा) पर तैनात अधिकारियों/कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रतिकर भत्ता रु0 3000/- (रुपये तीन हजार) की अवधि (दिनांक 20.12.2019 से एक वर्ष अथवा निर्मित गेस्ट हाउस/फील्ड हास्टल में आवासीय सुविधा उपलब्ध हो जाने तक इनमें से जो भी पहले हो) बढ़ाये जाने हेतु निदेशक मण्डल का अनुमोदन अपेक्षित है।

निदेशक मण्डल द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रस्ताव पारित किए गए :-

“निदेशक मण्डल द्वारा जवाहरपुर तापीय परियोजना के नियमित अधिकारी/कार्मिक जो वर्तमान में एटा/मलावन में रह रहे हैं एवं जिनको अभी तक जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना पर आवास की सुविधा नहीं मिल रही है को प्रतिमाह रु0 3000.00 (रुपये तीन हजार मात्र) का विशेष नगर भत्ता दिनांक 20.12.2019 से एक वर्ष अथवा निर्मित गेस्ट हाउस/फील्ड हास्टल में आवासीय सुविधा उपलब्ध हो जाने तक इनमें से जो भी पहले हो, अनुमन्य किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाता है।”

### मद संख्या - 31.7

जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना की अद्यतन स्थिति से निदेशक मण्डल को संज्ञानित करने हेतु प्रस्ताव।

निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में परियोजना की अनुमानित लागत रु0 10566.27 करोड़ अनुमोदित है तथा इस लागत में ऋण एवं शासकीय अंशांगूजी का अनुपात 80:20 है। परियोजना हेतु 50 प्रतिशत ऋण मै0 पी0एफ0सी0 एवं शेष 50 प्रतिशत मै0 आर0ई0सी0 से लेने हेतु इन्हीं ऋण संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त है। परियोजना पर वर्तमान में कुल व्यय रु0 लगभग 3151.12 करोड़ का हो चुका है तथा भौतिक प्रगति लगभग 58.22 प्रतिशत हो गयी है।

निदेशक मण्डल द्वारा निदेशक (परियोजना एवं वाणिज्य) द्वारा प्रस्तुत जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना की अद्यतन स्थिति को संज्ञान में लिया गया। साथ ही निर्देशित किया कि विलम्ब के कारणों का निवारण करते हुए परियोजना को ससमय पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाये।


पुनः निदेशक मण्डल द्वारा जवाहरपुर 2X660 मेगावाट तापीय परियोजना की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव निदेशक मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

बैठक अपराह्न 04:00 बजे प्रारम्भ होकर सांय 05:00 बजे समाप्त हुई।

दिनांक : २९-०१-२०२०

(सौंथिल पांडियन सी0)  
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक



Chairman's Initial